न्यायालय सत्र न्यायाधीश,आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या: 544/2026

सरकार बनाम: श्यामदुलारी

मुकदमा अपराध संख्या: 255/2025

थाना: जहानागंज, **जनपद:** आजमगढ़

आरोप

मैं, **जय प्रकाश पाण्डेय** , सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़, आप **अभियुक्ता श्यामदुलारी** (पत्नी खदेरू राम, निवासी: ग्राम नेतपुर, पो० बड़हलगंज, थाना जहानागंज, आजमगढ़) को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम: यह कि आपके पुत्र सूरज कुमार का विवाह पीड़िता प्रीति पुत्री गंगा प्रसाद, पौत्री सुखदेव राम के साथ दिनांक 21-11-2024 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त, आपने, अपने पुत्र सूरज कुमार पति खदेरू राम के साथ मिलकर, सामान्य आशय से, पीड़िता प्रीति से दहेज के रूप में मुब 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) नकद व एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग की और मांग पूरी न होने पर पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित व क्रूरता का शिकार बनाया। इस प्रकार आपने **धारा-85 भारतीय न्याय संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि आपने, सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, मृतका/पीड़िता प्रीति को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से इस सीमा तक प्रताड़ित किया और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की कि दिनांक 14-08-2025 को उसकी मगही नदी में डूबने से अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, जो कि उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर घटित हुई। इस प्रकार आपने समान आशय से **धारा-80(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अन्तर्गत 'दहेज मृत्यु' का अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय : यह कि आपने, आपके पुत्र सूरज कुमार, आपके पति खदेरू राम ने समान आशय से, विवाह के समय या उसके बाद, पीड़िता प्रीति के मायके वालों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज (पाँच लाख रुपये व मोटरसाइकिल) की अवैध मांग की और उसके लिए दबाव बनाया। इस प्रकार आपने **धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ : यह कि दिनांक 14-08-2025 को या उससे पूर्व, आपने अपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, सामान्य आशय के अग्रसरण में, मृतका प्रीति को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और मारपीटकर स्वेच्छा उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने **धारा-115(2) सहपठित धारा-3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.07.08 17:51:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंचम: यह कि दिनांक 14-08-2025 को या उससे पूर्व, आपने अपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, सामान्य आशय के अग्रसरण में, मृतका प्रीति को दहेज की मांग को लेकर न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि दुर्भावनापूर्वक उसके साथ अत्यधिक गाली-गलौज की तथा उसे इस आशय से अपमानित व अनादरित किया कि जिससे वह क्षुब्ध हो और लोक शांति भंग हो अथवा वह कोई अन्य अपराध कारित करे। इस प्रकार आपने **धारा 352 भारतीय न्याय संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम: यह कि आपने अपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, समान आशय से, मृतका प्रीति को जान से मारने की गंभीर धमकियाँ दीं और उसे आपराधिक रूप से अभित्रासित किया, जिससे वह भयभीत रही। इस प्रकार आपने **धारा-351(3) भारतीय न्याय संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

सप्तम: यह कि दिनांक 14-08-2025 को सुबह, आपके पुत्र सूरज कुमार ने आप सभी अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में, मृतका प्रीति को अपने घर से विदा करने के बहाने ले जाकर दुर्भावनापूर्वक मगही नदी में ढकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपने सामान्य आशय से पीड़िता की हत्या कारित की। तदनुसार, आपने **धारा-103(1) सहपठित धारा-3(5) भारतीय न्याय संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-**08-07-2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय**)**
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया एवं विचारण की माँग की।

दिनांक-**08-07-2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय**)**
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।</u>

सत्र परीक्षण संख्या: 544/2026 **सरकार बनाम:** श्यामदुलारी

मुकदमा अपराध संख्या: 255/2025 **अन्तर्गत धारा:** 85, 80(2), 61(2), 115(2), 352, 351(3), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना: जहानागंज, **जनपद:** आजमगढ़।

<u>दिनांक: 08-07-2026</u>

पुकारा गया।

अभियुक्ता **श्यामदुलारी** जेर–ए–जमानत मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्ता के विरूद्ध लगे आरोपों को बताया तथा यह भी बताया कि किन साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित किया जायेगा।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर ऐसा कोई सा–क्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप प्रमाणित हो सकें।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली के अनुशीलन से मैं इस मत का हूँ कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्ता श्यामदुलारी के विरुद्ध पृथक से किसी पूर्व–नियोजित आपराधिक षड्यंत्र, यानी धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता, का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उक्त अपराध का आरोप अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या बनना नहीं पाया जाता है ; परन्तु जहाँ तक अन्य धाराओं का प्रश्न है, अभियुक्ता श्यामदुलारी के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा–80(2), 85, 115(2) सहपठित धारा 3(5), 352, 351(3) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 व वैकल्पिक आरोप बी.एन.एस. की धारा–103(1) सहपठित धारा 3(5) का आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर अभियुक्ता द्वारा प्रथम दृष्ट्या उपरोक्तानुसार अपराध कारित किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा– 80(2), 85, 115(2) सहपठित धारा 3(5), 352, 351(3) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 व वैकल्पिक आरोप बी.एन.एस. की धारा–103(1) सहपठित धारा 3(5) के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाय।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 21.07.2026 को पेश हो। कैलेण्डर के अभियोजन साक्षीगण को समन जारी हो।

दिनांक :08-07-2026

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।